न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–514/2016

राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना, उम्र 76 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील आमेर, जिला जयपुरा राज0।

–प्रतिवादी/अपीलान्ट–

बनाम

1. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना, तथाकथित पुत्र जयनारायण, जाति ब्राह्मण, हाल निवासी प्लाट नम्बर 27. ज्ञान सरोवर स्कूल के पास, भवानी नगर, मूरलीपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
2. कल्याणमल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना
3. रामशरण पुत्र कल्याणमल

समस्त 2 लगायत 3 जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर

4. भू–धारक तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज0।
5. उप–पंजीयक महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. हनुमान सहाय पुत्र भूरा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–औपचारिक रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री प्रभू सिंह राजावत अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री मदन लाल कुडी रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयुपर वाद संख्या 123/2015 उनवानी राधेश्याम बनाम सीताराम व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर के समक्ष वाद बाबत घोषणा इन्द्राज तकास्मा स स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जो रामू उर्फ रामलाल पुत्र मोती के विधिक वारिसान है जिनकी ग्राम सिरसी तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 63 रकबा 18 बीघा 7

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

बिस्वा, खसरा नम्बर 64/180 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा थी जिसकी खातेदारी उभय पक्षकारान को ताऊजी जैनारायण पुत्र रामू व भूरा वल्द महादेव के नाम से दर्ज थी भूरा वल्द महादेव का हिस्सा वर्तमान मे उसके पुत्र औपचारिक प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है तथा जैनारायण वल्द रामू की अविवाहित व निर्वसियत मृत्यु हो गई थी तथा जैनारायण वल्द रामू के नाम दर्ज भूमि राम लाल उर्फ रामू पुत्र मोती की विरासत होने से तथा वादी के पिता कन्हैया लाल उर्फ काना की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही विवादग्रस्त आराजीयात अकेले जैनारायण पुत्र रामू के नाम से दर्ज हो गई जो पैतृक कृषि भूमि है।जैयनारायण की मृत्यु होने पर उसकी विरासत जरिये नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 10.06.1972 के द्वारा वादी के भाई सीताराम के नाम विधि विरूद्ध रूप से अकेले के ही दर्ज हो गई। जबकि जैनारायण की अविवाहित निवर्सियत फौत हो जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 समान रूप से जैनारायण वल्द रामू के विधिक वारिसान है नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 10.06.1972 के द्वारा किया गया इन्द्राज वादी के हकों के खिलाफ वोईड एबइनिशियों इन्द्राज है। इस वाद पत्र में हाल खसरा नम्बर 98/377 रकबा 0.10 हैक्टै0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 102 रकबा 1.45 हैक्टै0 खसरा नम्बर 106 रकबा 1.47 हैक्टै0 कुल किता 4, कुल रकबा 4.07 हैक्टै0, विवादग्रस्त आराजी है जो विवादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से तथा जैनारायण वल्द रामू की विरासत होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 समान रूप से हक व अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 16 निर्णय दिनांक 10.06.1972 के द्वारा विधिविरूद्ध रूप से विरासत सीताराम पुत्र जैनारायण अंकित करते हुए दर्ज कर दी। जबकि सीताराम वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का सगा भाई है। जिससे विवादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 भाग कानूनन निहित है तथा वादी अपने हिस्से पर साधिकार काबिज काश्त हैं। वादी ने विवादित आराजी पर पुख्ता मकान बना रखा है, पशु बाडे बना रखे है, विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज काश्त होकर अपना जीवनयापन कर रहा है। उपरोक्त तथ्यों के साथ वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी के 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। वादी ने मिसल बन्दोबस्त 2010–23 खाता संख्या 20 ग्राम सिरसी व ना. स. 16 दिनांक 16.06.1972 व खसरा परिशोधन संख्या 13 दिनांक 06.07.1983 मिलान क्षेत्रफल हाल सर्वे संवत 2046–65, जमाबन्दी संवंत 2069–2072 खाता संख्या 94, 101, 61 ग्राम सिरसी व कुर्सीनामा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा का वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य हेतु सबूत दस्तावेजात पेश किये थे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी प्रतिवादीगण की गई जिसके पश्चात पत्रावली को उभय पक्षकारान के निवेदन पर राजस्व लोक अदालत शिविर राधाकिशनपुरा पर रखा गया जहां अपनी पैतृक भूमि के बाबत दोनों भाईयों द्वारा राजीनाम पेश कर पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

खातेदारी में से काट कर दर्ज करने का निवेदन किया तथा वाद पत्र को राजीनामा के मुताबिक डिक्री करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत शिविर में राजीनामा प्रस्तुत होने के पश्चात वादी का वाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दि. 11/06/2016 द्वारा खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड राजीनामा व लोक अदालत की भावना के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से सगे भाईयों के मध्य पैतृक भूमि के बाबत् राजीनामा को नही मानकर वाद पत्र को खारिज फरमा दिया जबकि कानूनन राजीनामा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में लोक अदालत शिविर में वाद पत्र खारिज नहीं किया जाना चाहिए था बल्कि वाद पत्र में अग्रिम कार्यवाही कर नियमित विचारण हेतु साक्ष्य सबूत गवाह आदि की कार्यवाही कर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादी संख्या 1 को जैनारायण के गोद जाने व विवादित आराजी पैतृक नहीं होने का तथ्य बिना कोई साक्ष्य ही अंकित कर वादी का वाद गैर कानूनी रूप से खारिज फरमा दिया जो निरस्तनीय है।अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद बाबत् घोषणा का डिक्री किया जावे।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में जयनारायण की खातेदारी में थी। उक्त जयनारायण की अविवाहित मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट उक्त जैनारायण के भाई के पुत्र है। वादग्रस्त भूमि को बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट सीताराम ने अकेले अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अलग–अलग अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 सीताराम द्वारा 1/3 हिस्सा 1 अन्य भाई के पुत्र के नाम जरिये डिक्री दर्ज करवा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैम्प कोर्ट में राजीनामा पेश हुआ है। सीताराम रेस्पोडेंटस संख्या 1 के मृतक जैनारायण का दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है न इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत लिये जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था। जो कि नहीं किया गया है अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपीलान्ट वादी के पक्ष में वाद डिक्री जारी की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रकरण में कोई राजीनामा पेश नहीं किया हुआ है तथा स्व. जयनारायण का दत्तक पुत्र होने से विरासत में वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट सख्या 1 सीता राम को प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है अतः अपील खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 06–04–2016 को जवाब दावा हेतु नियत था। तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 09–05–2016 व दिनांक 08–06–2016 नियत की गई। दिनांक 08–06–2016 की आदेशिका अनुसार पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 11/06/2016 को नियत किया गया। दिनांक 11/06/2016 को पत्रावली कैम्प राधाकिशनपुरा में पेश हुई उक्त दिवस की आदेशिका में उल्लेख है कि "उभयपक्षकारान उपस्थित जिन्होंने वाद में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः राजीनामा के आधार पर अंतिम डिक्री चाहते है। तकासमा व स्थाई निषेघाज्ञा का अनुतोष नही चाहते है।पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादग्रस्त भूमि स्व0 जैनारायण की पैतृक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सीता राम अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र ही हस्तान्तरित कर सकता है। वादी का वाद साबित न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।"अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त उल्लेख से यह स्पष्ट है कि पत्रावली में जवाब दावा व साक्ष्य सबूत लिये बगैर ही उक्त आदेश पारित किया गया है पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत थी तथा कैम्प में प्रस्तुत राजीनामा को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किये जाने से वाद को साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिए था जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया हैं।इस प्रकार न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रकिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि बहाल रखे जाने योग्य नही है। अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

8–अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जवाब दावा एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर